

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकल पीठ दण्डिक विविध याचिका संख्या : 6015 / 2017

22.11.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री अब्दुल कलाम खान।

लोक अभियोजक श्री एन एस शेखावत।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी किया जाना उचित है।

योग्य लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, अतः राजस्थान राज्य की तामील पूर्ण मानी जाती है।

योग्य अधिवक्ता याची एक सप्ताह में शेष अयाची/ अयाचीगण के क्रम में विधिनुसार नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें।

आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति